स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 347, दिनांकः 30–10–2021

उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में लगभग दो दशक से आतंक का पर्याय बन चुका (IS-30) दस्यु सरगना गौरी यादव एसटीएफ उ०प्र० से चित्रकूट के थाना क्षेत्र बहिलपुरवा में हुई मुठभेड़। इसके पास से AK-47 जैसे आधुनिक असलहे, फैक्ट्री मेड रायफल व भारी मात्रा में कारतूस मिले, डकैती गौरी के उपर उत्तर प्रदेश से रू० 5,00,000/- (पॉच लाख) तथा मध्य प्रदेश से रू० 50,000/- (पचास हजार) का इनाम घोषित था।

दिनांक ३०-१०-२०२१ को उ०प्र० के जनपद चित्रकूट व आस पास के इलाकों व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग दो दशक से ज्यादा समय से आतंक का पर्याय बने **(IS-30)** दस्यु सरगना एवं उत्तर प्रदेश से रू० 05 लाख तथा मध्य प्रदेश से रू० 50 हजार के इनामी दुर्दान्त डकैत गौरी यादव के साथ एसटीएफ उत्तर प्रदेश की हुई मुठभेड़ में डकैत की मृत्यु हो गयी, इसके पास से AK-47 जैसे आधुनिक असलहे, फैक्ट्री मेड रायफल व भारी मात्रा में कारतूस मिले।

मृतक अभियुक्त का विवरणः-

1– गौरी यादव उर्फ उदय भान यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी ग्राम बेलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1– 01 अदद ए0के0–47
2– 01 अदद ओल्ड माडल क्लासिनकोवा सेमी आटोमैटिक रायफल।
3– 01 अदद फैक्ट्रीमेड 12 बोर बन्दूक
4– 01 अदद देशी असलहा।
5– भारी मात्राओं में उपरोक्त असलहों के कारतूस।

मुठभेड़ का स्थान/दिनांक व समय

जनपद चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा क्षेत्रान्तर्गत माड़ो बन्धा के पास जंगल में दिनांक–30–10–2021 समय लगभग 03.30 से 04:00 बजे के मध्य।

विगत लगभग दो दशक से उ0प्र0 के चित्रकूट, बांदा एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में आतंक का पर्याय बने दस्यु सरगना (IS-30) गैंग लीडर एवं उ0प्र0 से रू0 5,00,000/– व मध्य प्रदेश से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित दुर्दान्त डकैत उदयभान यादव उर्फ गौरी द्वारा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में हस्तक्षेप कर अवैध धन वसूली करने, पैसा न देने पर लोगों को जान से मारने की धमकी देने की कई शिकायते प्राप्त हो रही थी जिसके सम्बन्ध में इस गैंग के विरूद्ध उ0प्र0 व मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में लगभग 04 दर्जन से अधिक अभियोग भी पंजीकृत है। इस गैंग के विरूद्ध सूचना संकलन एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए एसटीएफ उ0प्र0 की मुख्यालय स्थित एन्टी डकैती टीम को निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी, उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह, मु0आ0 राजकुमार शुक्ला, आरक्षी शिवानन्द शुक्ला, की

टीम जनपद चित्रकूट में मौजूद थी, कि दिनांक 29–10–2021 की रात्रि में मुखबिर खास के जरिये सूचना मिली कि थाना बहिलपुरवा क्षेत्र में स्थित माड़ो बंधा के पश्चिम जंगल में दस्यु सरगना उदयभान उर्फ गौरी यादव अपने गैंग के साथ इकठ्ठा होने वाला है। इस सूचना को अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0 से साझा किया गया, जिस अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा स्थिति की गम्भीरता के दृष्टिगत तत्काल जनपद चित्रकूट के लिए रवाना हुए तथा जनपद चित्रकूट पहुॅचकर पूर्व से मौजूद एसटीएफ टीम को प्राप्त सूचना से अवगत होकर थाना बहिलपुरवा क्षेत्रान्तर्गत माड़ो बन्धा के घने जंगल में रवाना हुए। जंगल के अन्दर छानबीन के दौरान मुखबिर ने आकर बताया कि कुछ दूरी पर आग जल रही है, उसी स्थान पर गौरी यादव अपने गैंग के साथ मौजूद है। इस सूचना पर अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा तत्काल दो टीमे बनायी गयी। प्रथम टीम में अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ उ0प्र0, मु0आ0 राज कुमार शुक्ला, कमाण्डो विनोद सिंह व कमाण्डो अष्टभान यादव एवं द्वितीय टीम में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, उ0नि0 श्री अमित तिवारी, उ0नि0 संतोष सिंह व आरक्षी शिवानन्द शुक्ला थे, जहॉ जंगल के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध आड़ लेते हुए दोनों टीमें अलग–अलग दिशा सें बढ़ रही थी, कि जंगल में आग जलती दिखायी दी, जिसके पास 10–12 आदमी असलहे लेकर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस पर दोनों टीमों ने आवाज देकर गैंग को आत्मसमर्पण करने लिए कहा, जिस पर दस्यु गैंग द्वारा गाली देते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस टीमों पर फायर किया जाने लगा। इसके बारे में जनपदीय कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए दोनों टीमों ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया। दस्यु गैंग पुलिस टीमों को टारगेट कर लगातार फायर करते हुए जंगल के अन्दर की ओर भागे। एसटीएफ टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, डकैतों की तरफ से बीच–बीच में फायरिंग होती रही। इस तरह से लगभग दो घण्टे से अधिक समय तक फायरिंग चलती रही, जिसका जबाब एसटीएफ टीम द्वारा दिया जाता रहा। डकैतो की तरफ से फायरिंग बन्द होने पर जंगल में सर्च आपरेशन किया गया तो एक डकैत मृत अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा दिखाई दिया, उसके शरीर में गोली लगने के निशान थे, जिसकी शिनाख्त डकैत गौरी यादव उर्फ उदयभान यादव के रूप में हुई, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

उल्लेखनीय है कि कुख्यात डकैत गौरी यादव उर्फ उदयभान पुत्र बाबूलाल यादव निवासी बेलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरूद्ध उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में कुल 50 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से उ0प्र0 में पंजीकृत 18 अभियोगों में वांछित होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 689/छः–पु0–6–2021–1176/2002 दिनांक 01–07–2021 के द्वारा रू0 05 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गौरी यादव उर्फ उदयभान पुत्र बाबूलाल यादव निवासी बेलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट का मूल निवासी है। इसका जन्म वर्ष 1976 में ग्राम बेलहरी में हुआ था। ग्राम बेलहरी जंगल/पहाड़ से घिरा हुआ है। इसके माता–पिता मामूली कास्तकार थे, जो गॉव में ही जन्म से रह रहे हैं। पहाड़ी व जंगल होने के कारण पढ़ा लिखा नहीं है, जवान होने पर बुरी संगत के व्यक्तियों के साथ आने–जाने लगा तथा गुप्त रूप से अपराध करने लगा और छोटे–मोटे अपराध करने का आदी हो गया। इसके द्वारा कई दुर्दान्त घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है, जिसमें से कुछ निम्न हैं:–

1– वर्ष 2005 में थाना नयागॉव जनपद सतना म0प्र0 के क्षेत्र में पकड़कर फिरौती की मांग की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नयागॉव, जनपद सतना म0प्र0 अभियोग पंजीकृत हुआ।

2— उसी वर्ष मु0अ0सं0 81/05 धारा 364ए भादवि व थाना बरौधा में भी इसके बिरूद्ध मु0अ0स0 20/05 धारा 364 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

3— उपरोक्त को पकड़ को मुक्त कराने में थाना नयागॉव सतना म0प्र0 की पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई थी, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 83/05 धारा 147/148/149/307 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

4— मारकुन्डी जंगल की ओर पुलिस मुठभेड़ के दौरान भाग गया था, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 16/07 धारा 147/148/149/307 भादवि व 10/14 डी0ई0ए0 एक्ट का अभियोग इसके बिरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

5— दिनांक 19—01—2009 को एस0टी0एफ0 द्वारा ही गौरी यादव को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से एक अदद एस0एल0आर आर्सनल नं0—16145585 (जो पूर्व में पुलिस से लूटी गयी थी) मय मैगजीन 80 कारतूस बरामद हुए, जिसके सम्बन्ध में थाना कमासिन, जनपद बांदा में अभियोग पंजीकृत है।

6— वर्ष 2013 में दिल्ली पुलिस के एक दरोगा जय भगवान शर्मा की हत्या कर फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा, जनपद चित्रकूट में मु0अ0सं0 38/2013 धारा 147/148/649/302/307/404/353/186/120बी का अभियोग पंजीकृत हुआ था।

7— वर्ष 2017 में धर्मेन्द्र पाण्डेय पुत्र देव दत्त, हरीश चन्द्र पाण्डेय पुत्र राम आसरे का अपहरण किया तथा फिरौती लेने के पश्चात हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में मु0अ0सं0 32/2015 धारा 302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना में गौरी यादव अभी तक मफरूर था।

इसके पश्चात उपरोक्त ने अपना अलग गिरोह बना कर निरन्तर संगीन घटनाओं को अंजाम देकर समाज में आतंक एवं भय व्याप्त किये हुए है। इसकी अपराधिक पृष्ठिभूमि को ध्यान में रखते हुए इस गैंग को डी—13 गौरी यादव उर्फ उदयभान के नाम से सूचीबद्ध किया गया था।

मृतक अभियुक्त उदय भान यादव उर्फ गौरी यादव का ज्ञात हुआ अपराधिक इतिहास तथा वह मामले जिनमें वह संलिप्त रहा हैः—

क्र0 सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4	5
1	10/ 04	364ए भादवि	बरौधा	सतना म0प्र0
2	60/04	364ए भादवि	बरौधा	सतना म0प्र0
3	80/04	364ए/212/216 ता0हि0 11/13 एडी एक्ट	बरौधा	सतना म0प्र0
4	20/05	364 भादवि व 09/11 एडी एक्ट	बरौधा	सतना म0प्र0
4	26/05	147/148/149/294/323/506 ता0हि0 व 9/11 एडी एक्ट	बरौधा	सतना म0प्र0
5	27/05	147/148/149/307/506 भादवि	मारकुण्डी	चित्रकूट
6	29/05	364ए भादवि	बरौधा	सतना म0प्र0
7	81/05	364क ता0हि0 25/27 ए एक्ट व 09/11 एडी एक्ट	नयागॉव	सतना म0प्र0

क्र0 सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	2	3	4	5
8	83/05	147/148/149/307 भादवि 25/27 ए एक्ट व 09/11 एडी एक्ट	नयागॉव	सतना म0प्र0
9	99/05	147/148/149/307 भादवि व 14 डीईए एक्ट	मऊ	चित्रकूट
10	120/05	364क ता0हि0 25/27 ए एक्ट व 11/13 एडी एक्ट	मझगवा	सतना म0प्र0
11	16/07	147/148/149/307 भादवि व 10/12 डीईए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
12	97/07	147/148/149/353/307 ता0हि0 25/27 ए एक्ट व 11/13 एडी एक्ट	नयागॉव	सतना म0प्र0
13	14/07	147/148/149/364क ता0हि0 25/27 ए एक्ट व 11/13 एडी एक्ट	बरौधा	सतना म0प्र0
14	90/07	364क ता0हित0	नयागॉव	सतना म0प्र0
15	62/08	387/323/504/506 भादवि	मारकुण्डी	चित्रकूट
16	66/08	147/506 भादवि	कमासिन	बांदा
17	113/08	307 भादवि	मारकुण्डी	चित्रकूट
18	11/09	25 आर्म्स एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
19	19/09	147/148/149/307 भादवि	नयागॉव	सतना म0प्र0
20	**38/13**	**147/14/149/307/302/353/186/120बी भादवि**	**बहिलपुरवा**	**चित्रकूट**
21	**176/13**	**386/323/504/506 भादवि**	**मऊ**	**चित्रकूट**
22	**92/14**	**2/3 गैंगेस्टर एक्ट**	**बहिलपुरवा**	**चित्रकूट**
23	**697/14**	**386/507 भादवि**	**कोत0कर्वी**	**चित्रकूट**
24	350/14	384/506 भादवि	मऊ	चित्रकूट
25	358/14	386 भादवि	मऊ	चित्रकूट
26	101/14	386 भादवि	मानिकपुर	चित्रकूट
27	32/15	302/201 भादवि	मानिकपुर	चित्रकूट
28	80/15	174क भादवि	मऊ	चित्रकूट
29	12/15	147,148,149,323,504,506 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	मारकुण्डी	चित्रकूट
30	31/15	147,148,149,364 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
31	133/15	387/120वी0 भादवि	रैपुरा	चित्रकूट
32	86/15	174क भादवि	मानिकपुर	चित्रकूट
33	972/15	174क भादवि	कोत0कर्वी	चित्रकूट
34	102/15	147/148/149/307 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
35	99/15	147/148/149/307 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
36	86/15	386/507 ता0हि0 11/13 एडी एक्ट	मझगवा	सतना म0प्र0
37	03/15	386 ता0हि0 11/13 एडी एक्ट	बरौधा	सतना म0प्र0
38	34/16	147/148/149/452/323/504/506/427 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट

क्र0 सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	**2**	**3**	**4**	**5**
39	20/16	147/148/149/307 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
40	69/16	174 ए भादवि	मानिकपुर	चित्रकूट
41	90/16	174 ए भादवि	बहिलपुरवा	चित्रकूट
42	133/16	386/507 ता0हि0 11/13 एडी एक्ट	नयागॉव	सतना म0प्र0
43	129/17	174क भादवि	रैपुरा	चित्रकूट
44	120/17	174क भादवि	मारकुण्डी	चित्रकूट
45	147/17	386 ता0हि0	नयागॉव	सतना म0प्र0
46	72/18	386 ता0हि0 25/27 ए एक्ट व 11/13 एडी एक्ट	नयागॉव	सतना म0प्र0
47	38/20	386/387 ता0हि0 25/27 ए एक्ट व 11/13 एडी एक्ट	मझगवा	सतना म0प्र0
48	03/21	387/332/353/323/504 भादवि व 12/14 डीएए एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
49	25/21	147,148,149,504,307 भादवि0 व 12/14 डीए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट	बहिलपुरवा	चित्रकूट
50	69/21	147,148,149,286,342,387,427,506 भादवि0 12/14डीए एक्ट	मानिकपुर	चित्रकूट

उपरोक्त सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा, जनपद चित्रकूट पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।